भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *2
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

'कर छूट और लाभ'

***2. सुश्री कंगना रनौत:**

श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान निगमों और व्यक्तिगत करदाताओं के मध्य कर छूट और लाभ के वितरण का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट नीतियां अथवा उपाय लागू किए गए हैं कि मध्यम वर्ग को कर छूट से अधिक लाभ हो; और
(ग) मध्यम वर्ग के करदाताओं पर इन उपायों के अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 03.02.2025 को 'कर छूट और लाभ' के संबंध में सुश्री कंगना रनौत और श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *2 के संबंध में उत्तर हेतु भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान निगमों और व्यक्तिगत करदाताओं के बीच कर छूट और लाभ का वितरण ;

उत्तर:

(i) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के माध्यम से प्रत्यक्ष कर नीति, *अन्य बातों के साथ-साथ* , निर्यात को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने, व्यक्तियों द्वारा बचत और दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक कॉर्पोरेट और व्यक्तियों/एचयूएफ के संबंध में अधिनियम के तहत कर छूट और लाभों के कारण प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

तालिका 1: प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष	**कॉर्पोरेट्स के लिए करोड़ रुपए में)**	**व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए करोड़ रुपए में)**
2019-20	94,109.83	1,55,429.45
2020-21	75,218.02	1,28,244.23
2021-22	96,892.39	1,68,566.30
2022-23	88,109.27	1,96,678.95
2023-24*	98,999.57	2,20,988.47
कुल	**4,53,329.08**	**8,69,907.40**

स्रोत: संबंधित वर्षों का प्राप्ति बजट

**वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व प्रभाव अनुमानित राजस्व प्रभाव है।*

(ii) विगत पांच वर्षों में व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव ***8,69,907.40*** **करोड़ रुपये** है। इसकी तुलना में, विगत पांच वर्षों में कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव ***4,53,329.08 करोड़ रुपये*** *है* । इसलिए, यह देखा जा सकता है कि सरकार ने व्यक्तियों/एचयूएफ करदाताओं के लाभ के लिए भारी राजस्व का परित्याग किया है।

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए यह विशिष्ट नीतियां अथवा उपाय लागू किए गए हैं कि मध्यम वर्ग को कर छूट से अधिक लाभ हो; और

उत्तर: आयकर प्रावधानों को सरल बनाने, उन्हें कम करने कम और उसके अनुपालन को आसान बनाने तथा मध्यम वर्ग के करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने के लिए बजट 2020-21 में नई कर व्यवस्था शुरू की गई थी। लगभग 75% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। यह रेखांकित किया गया है कि बजट 2025 में प्रस्तुत प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों का एक उद्देश्य व्यक्तिगत आयकर सुधार है, जिसमें मध्यम वर्ग के करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ पहुँचाने वाले कुछ उपायों पर नीचे चर्चा की गई है।

- **<u>बुनियादी छूट सीमा में वृद्धि:</u>** बजट 2020-21 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था के तहत, आयकर से छूट प्राप्त कुल आय सीमा यानी 'शून्य' आयकर स्लैब 2.5 लाख रुपये तक थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया और अब बजट 2025-26 में इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

- **<u>धारा 87क के तहत छूट:</u>** बजट 2023-24 में आयकर छूट की सीमा को नई कर व्यवस्था में लागू किया गया। तदनुसार, 7 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति नई कर व्यवस्था के तहत छूट के कारण कोई आयकर नहीं देते हैं। दिनांक 01 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत निवासी व्यक्ति के लिए छूट को और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अगर उनकी कुल आय 12 लाख रुपये (विशेष दर आय के अलावा) तक है तो उन्हें कर नहीं देना पड़े। इस सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से लगभग एक करोड़ करदाता, जिन्हें पहले 20,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का कर देना पड़ता था, अब 'शून्य' कर का भुगतान करेंगे। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी। नई कर व्यवस्था के तहत पहले दी गई सीमांत राहत 12 लाख रुपये से थोड़ी अधिक आय पर भी लागू होगी।

- **<u>आयकर दरों में कमी:</u>** बजट 2020-21 में नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से विभिन्न आय स्लैब में व्यक्तिगत आयकर दरों में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान बजट 2025-26 में यह प्रस्ताव किया गया है कि 24 लाख रुपये से अधिक की कुल आय पर 30% की उच्च कर दर लागू की जाएगी। बजट 2020-21, बजट 2023-24, बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) और बजट 2025-26 में घोषित आयकर दरों का स्लैब-वार विवरण **अनुलग्नक क** में दिया गया है।

- **<u>मानक कटौती सीमा में वृद्धि:</u>** बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगियों को 50,000/- रुपये की मानक कटौती उपलब्ध कराई गई। बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में इस सीमा को बढ़ाकर 75,000 /- रुपये कर दिया गया। इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में 15,000 /- रुपये से बढ़ाकर 25,000/- रुपये कर दिया गया। इससे लगभग चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है।

- **<u>नई कर व्यवस्था के तहत छूट:</u>** नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाता कुछ छूटों का लाभ भी उठा सकते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 25 लाख रुपये तक की छुट्टी का नकदीकरण , एनपीएस के तहत नियोक्ता के अंशदान में बढ़ी हुई कटौती, वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुछ भत्ते जैसे दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता आदि और ग्रेच्युटी राशि शामिल हैं। **(अनुलग्नक ख** देखें**)।**

- **<u>टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों का युक्तिकरण :</u>** वर्तमान बजट 2025-26 में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय और किराये की आय आदि जैसी कुछ आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है (**अनुलग्नक ग** देखें)। इसके अलावा, वर्तमान बजट 2025-26 में शिक्षा उद्देश्यों के लिए प्रेषण पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) को हटाने की भी घोषणा की गई थी, जहां ऐसा प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से होता है।

- **<u>दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) से आय पर कर छूट:</u>** इक्विटी और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए, प्रति वित्तीय वर्ष 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई आस्तियों पर अर्जित लाभ) को आयकर से छूट दी गई है।

- **<u>कर व्यवस्थाओं का विकल्प:</u>** हालाँकि बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया था, लेकिन करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प है। पुरानी व्यवस्था के तहत, व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाता इन छूटों/कटौतियों का दावा करने के पात्र हैं और उनके लिए कई तरह की कर प्राथमिकताएँ उपलब्ध हैं।

समय-समय पर सरकार ने आय स्लैब और कर दरों में बदलाव करके मध्यम वर्ग के करदाताओं के कर बोझ को कम किया है। नई कर व्यवस्था के तहत कर दरें संबंधित आय स्लैब के लिए पुरानी व्यवस्था की कर दरों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम हैं। वर्तमान बजट में प्रस्तावित नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2025-26 में पेश किए गए प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹ 1 लाख करोड़ का राजस्व परित्याग किया जाएगा।

(ग) मध्यम वर्ग के करदाताओं पर इन उपायों के अनुमानित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर:

(1) सरकार द्वारा व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था के तहत प्रदान किए जाने वाले कर लाभ का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डालना है। कर लाभ विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग में आने वाले व्यक्तियों और परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो उनकी कर देयता को कम करने और उपभोग, बचत निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय योजना को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों का लाभ उठाकर, मध्यम वर्ग के करदाता प्रभावी रूप से अपनी कर देयता को कम कर सकते हैं और अपनी प्रयोज्य आय बढ़ा सकते हैं, जिससे बदले में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी।

(2) मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बजट 2023-24 में पेश किए गए उपायों के लिए अनुमानित राजस्व परित्याग सालाना 35,000 करोड़ रुपये है और बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में पेश किए गए उपायों के लिए सालाना 7,000 करोड़ रुपये है। मौजूदा बजट 2025-26 में प्रस्तावित उपायों के लिए प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व का परित्याग किया जाएगा।

(3) व्यक्तियों/एचयूएफ द्वारा प्राप्त कर छूट और लाभ पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़े हैं जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर से स्पष्ट है। विगत पांच वर्षों में व्यक्तिगत/एचयूएफ करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव 8,69,907.40 करोड़ रुपये है। इसके अलावा , पुरानी व्यवस्था में आयकर अधिनियम, 1961 की छूट और कटौती (अध्याय VIक के तहत) के माध्यम से जो कर लाभ पहले दिए गए थे, वे अब स्लैब और दर संरचना में अंतर्निहित हैं और साथ ही कुछ छूट और कटौती जैसे एनपीएस के तहत नियोक्ता का योगदान, नई कर व्यवस्था के तहत छूट आदि भी उपलब्ध हैं। इसलिए, नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब और दरों के माध्यम से कर लाभ पुरानी व्यवस्था में छूट और कटौती (अध्याय VIक के तहत) के माध्यम से उपलब्ध लाभ से अधिक है। यह बात नई कर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं की संख्या से स्पष्ट रूप से पता चलती है, अर्थात लगभग 75% करदाताओं ने कटौती और छूट के साथ पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने की तुलना में कम कर का भुगतान किया है। इससे पता चलता है कि मध्यम वर्ग के करदाताओं को अधिक लाभ दिया गया है।

*****

(i) पुरानी कर व्यवस्था और बजट 2020-21 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था के तहत कर दरों और स्लैब की तुलना निम्नानुसार है: -

कर-योग्य आय स्लैब (रु. में)	**पुरानी व्यवस्था के तहत मौजूदा कर दरें**	**नई कर व्यवस्था के तहत नई कर दरें**
2,50,000 तक	शून्य	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%	5%
5,00,001 से 7,50,000 तक	20%	10%
7,50,001 से 10,00,000 तक	20%	15%
10,00,001 से 12,50,000 तक	30%	20%
12,50,001 से 15,00,000 तक	30%	25%
15,00,000 से अधिक	30%	30%

(ii) नई व्यवस्था में कर स्लैब और दरों को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बजट 2023-24 में निम्नानुसार संशोधित किया गया :-

कर योग्य आय (रु.)	**दरें**
3,00,000 रु. तक	शून्य
3,00,001 रु.से 6,00,000 रु.तक	5 %
6,00,001 रुपये से 9,00,000 रुपये तक	10 %
9,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक	15 %
12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक	20 %
15,00,000 रुपये से अधिक	30 %

(iii) नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरों को बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में संशोधित किया गया, जो आकलन वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा:

कर योग्य आय (रु.)	**दरें**
3,00,000 रु. तक	शून्य
3,00,001 रु.से 7,00,000 रु. तक	5 %
7,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	10 %
10,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक	15%
12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक	20 %
15,00,000 रुपये से अधिक	30 %

(iv) वर्तमान बजट 2025-26 में प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से कर की दरें निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:

कर योग्य आय (रु .)	**दरें**
4,00,000 रु. तक	शून्य
4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये तक	5 %
8,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक	10 %
12,00,001 रुपये से 16,00,000 रुपये तक	15%
16,00,001 रुपये से 20,00,000 रुपये तक	20 %
20,00,001 रुपये से 24,00,000 रुपये तक	25%
24,00,000 रुपये से अधिक	30%

- मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए कर लाभ की गणना के कुछ उदाहरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

आय	**स्लैब पर कर और दरें**		**लाभ**	**छूट लाभ**	**कुल लाभ**	**छूट-लाभ के बाद कर**
	वर्तमान	**प्रस्तावित**	**दर / स्लैब**	**12 लाख रुपये तक पूर्ण**		
8 लाख	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000	30,000	1 0,000	30,000	40,000	0
10 लाख	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11 लाख	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 लाख	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 लाख	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20 लाख	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50 लाख	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

****

अनुलग्नक ख

नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध छूट/कर लाभ:

(i) **धारा 10(10कक) के तहत अवकाश नकदीकरण सीमा की छूट में वृद्धि:** बजट 2023-24 में, किसी कर्मचारी (केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के अलावा) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन के 10 महीने तक के अवकाश के नकदीकरण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर **25 लाख** रुपये कर दिया गया।

(ii) **धारा 80सीसीडी(2) के तहत** कर्मचारियों (केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा) के लिए कर्मचारी एनपीएस खाते में अंशदान को बजट 2024-25 (जुलाई, 2024) में 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है।

(iii) **वेतनभोगी व्यक्तियों** द्वारा प्राप्त निम्नलिखित भत्तों पर कर छूट उपलब्ध है **:**

- दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिया गया कोई यात्रा भत्ता;
- किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्य स्थल से अनुपस्थिति के कारण किए गए सामान्य दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए कोई दैनिक भत्ता, चाहे वह दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए,
- किसी कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में परिवहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई परिवहन भत्ता;
- कोई ऐसा विशेष भत्ता या लाभ, जो किसी कार्यालय या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में पूर्णतः होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रदान किया जाता है
- ऐसा कोई भत्ता जो करदाता को या तो उस स्थान पर अपने व्यक्तिगत व्ययों को पूरा करने के लिए दिया जाता है जहां उसके द्वारा अपने पद या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों का सामान्यतः पालन किया जाता है या उस स्थान पर जहां वह सामान्यतः निवास करता है, या उसे जीवन-यापन की बढ़ी हुई लागत के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए, जैसा कि विहित किया गया है और उस सीमा तक, जैसा कि विहित किया गया है।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर धारा 10(10ग) के तहत प्राप्त राशि और धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी पर निर्धारित सीमा के अधीन कर छूट।

(v) **अधिभार एवं अधिकतम कर दर में कमी:** बजट 2023-24 में नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे अधिकतम दर 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत हो गई है।

(vi) **धारा 23 के तहत स्वयं के अधिकार वाली संपत्ति के वार्षिक मूल्य का सरलीकरण:** वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही स्वयं के अधिकार वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को 'शून्य' के रूप में दावा कर सकते हैं। करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बजट 2025 में दो ऐसी स्वयं के अधिकार वाली संपत्तियों के लाभ की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है, यदि मालिक अपने निवास के लिए उस पर कब्जा करता है या किसी कारण से वास्तव में उस पर कब्जा नहीं कर सकता है।

(vii) **कुछ विशेष सुविधाओं की सीमा में वृद्धि:** बजट 2025 में अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सुविधाओं की गणना के उद्देश्य से कर्मचारियों की आय की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जिससे वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को लाभ होगा।

****

अनुलग्नक ग

टीडीएस/टीसीएस प्रावधान का युक्तिकरण : विभिन्न प्रावधानों के तहत टीडीएस दरों की बढ़ी हुई सीमा, जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अधिनियम की धारा	वर्तमान टीडीएस/टीसीएस सीमा (रु. में)	प्रस्तावित टीडीएस/टीसीएस सीमा (में रु.)
1	194क – प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज	(i) वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000/-; (ii) अन्य के मामले में 40,000/- जब भुगतानकर्ता बैंक, सहकारी समिति और डाकघर हो (iii) अन्य मामलों में 5,000/-	(i) वरिष्ठ नागरिक के लिए 1,00,000/-; (ii) अन्य के मामले में 50,000/- जब भुगतानकर्ता बैंक, सहकारी समिति और डाकघर हो (iii) अन्य मामलों में 10,000/-
2	194-आई किराया	वित्तीय वर्ष के दौरान 2,40,000/-	50,000/- प्रति माह या महीने का कुछ भाग
3	193 – प्रतिभूतियों पर ब्याज	शून्य	10,000/-
4	194- लाभांश, एक व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए	5,000/-	10,000/-
5	194के- म्यूचुअल फंड या निर्दिष्ट कंपनी या उपक्रम की इकाइयों के संबंध में आय	5,000/-	10,000/-
6	194डी – बीमा आयोग	15,000/-	20,000/-
7	194जी – लॉटरी टिकटों पर कमीशन, पुरस्कार आदि के माध्यम से आय	15,000/-	20,000/-
8	194एच – कमीशन या ब्रोकरेज	15,000/-	20,000/-
9	194जे – पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क	30,000/-	50,000/-
10	194एलए – बढ़े हुए मुआवजे के माध्यम से आय	2,50,000/-	5,00,000/-
11	206सी(1जी)- एलआरएस और विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज के तहत धन प्रेषण	7,00,000/-	10,00,000/-
(ग) शिक्षा प्रयोजनों के लिए प्रेषित धनराशि पर कोई टीसीएस नहीं शिक्षा प्रयोजनों के लिए प्रेषित धनराशि पर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव किया गया है, जहां ऐसा प्रेषित धन किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण में से हो।			

****